## कार्यालय - ज्ञाप संख्या 3/2019/4/1/2002/का -2/19टी.सी.-11, दिनांक 14 मार्च 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-1) कार्यालय का नाम -तहसीलदार महोदय, तहसील 55 जनपद सुलतानपुर (उ०प्र०) मारत -आर्थिक रूपे कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तत किये जाने

वार्य असीत किये जीते वीता जात हैने नार्या नार्य
प्रमाण पत्र संख्या 349
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हमा प्रियह में पुत्र कारिश के किए कि विवासी निवासी निवासी में कि श्री पोस्ट निवासी किया जाता है। जिस्सी के पोस्ट निवासी किया जाता है। जाता जात
तहसील
फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22
में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये) के कम हैं। इनके परिवार के
स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।
a) 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि।
b) एक हजार वर्गफीट अथवा इससे अधिक का आवासीय का फ्लैट।
c) अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्गगज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
d) अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्गगज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2- श्री/श्रीमती/कुमारी <u>ड अउन) सिद्</u> या जाति । जो उनस्यित है।

जाति अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

.....(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम .. पदनाम ..... जिलाधिकारी / अतिरक्ति भिलाभिकारी / भिटी -मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार